न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–72/2019

कृष्णा केजरीवाल.....वादी

बनाम

भरत प्रसाद केजरीवाल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

20.09.2021 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 20.03.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादी संख्या–1 ता 4, 11, 13, 14 एवं प्रतिवादी संख्या–15 ता 18 की ओर से आज प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद की प्रतिवादी संख्या–6 की मृत्यु दिनांक 30.03.2020 को हो चुकी है। वह अपने पीछे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को विधिक वारिसान के रूप में छोड़ गई हैं। यह कि वादी वर्तमान में जयपुर में रहता है तथा प्रतिवादी संख्या–6 बेतिया में रहती हैं। यह कि कोरोना काल में प्रतिवादी संख्या–6 की मृत्यु हो गई है तथा कोरोना काल में न्यायालय की कार्यवाही नियमित रूप से नहीं चल रही थी, इसलिए प्रस्तुत आवेदन दाखिल करने में विलंब हुआ। अतः आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए मृत प्रतिवादी की जगह उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय, अन्यथा उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी।

इस संबंध में प्रतिवादी संख्या–1 ता 4, 11, 13, 14 का कहना है कि वादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि वादी के आवेदन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–6 की मृत्यु दिनांक 30.03.2020 को हो चुकी है, लेकिन प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.03.2021 को दाखिल किया गया है। यह कि प्रस्तुत आवेदन निर्धारित समय सीमा के पश्चात दाखिल किया गया है, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण वादी द्वारा नहीं दिया गया है तथा प्रतिवादी संख्या–6 के विरूद्ध प्रस्तुत वाद उपसमित हो गया है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या–6 की मृत्यु की सूचना वादी को पहले से ही है। अतः वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है।

जबकि इस संबंध में प्रतिवादी संख्या–15 ता 18 द्वारा अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संख्या–1 ता 4, 11,13, 14 के कारण पृच्छा में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया गया है तथा कहा गया है कि उक्त परिस्थिति में वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रतिवादी संख्या–6 की मृत्यु दिनांक 20.03.2020 को हो चुकी है, जो उभय पक्षों के बीच स्वीकृत तथ्य है। चूँकि उक्त अवधि के पश्चात कोरोना संक्रमण के कारण न्यायिक कार्य बाधित रहा। वादी द्वारा आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत भी आवेदन दाखिल किया गया है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से भी समर्थित है। ऐसी दशा में वादी द्वारा दाखिल आवेदन न्याय हित में 500/– रू. हर्जे के साथ स्वीकृत किया जाता है। साथ ही यदि प्रतिवादी संख्या–6 के विरूद्ध यदि कोई उपसमन हुआ है तो उसे अपास्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–6 का नाम विलोपित करते हुए आवेदन में वर्णित उसके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। तत्पश्चात नये प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु वादी समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु अभिलेख दिनांक 26.11.2021 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)